



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232404
CG-DL-E-04012022-232404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]
No. 34]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2022/पौष 14, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2022/PAUSHA 14, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

का.आ. 35(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), महाप्रबंधक (जीएम), उप महाप्रबंधक (डीजीएम), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम), प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वैयक्तिक या सामान्य सहायक, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और चालक के पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (11) के अधीन अपनी शक्तियां उक्त प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करती है।

[फा. सं. एनएफआरए-05/9/2021-कॉम्प-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2022

S.O. 35(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates its powers under

sub-section (11) of section 132 of the said Act to the National Financial Reporting Authority for the purpose of the appointment to the posts of Chief General Manager (CGM), General Manager (GM), Deputy General Manager (DGM), Assistant General Manager (AGM), Manager, Assistant Manager, Personal or General Assistant, Sr. PS., Private Secretary and Driver in the said Authority.

[F. No. NFRA-05/9/2021-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.